6/8/19

NOT Press Plead by Jaychand Ad.

आज यह पत्रावली वादी पूनमचंद के वारिसानों पुष्पा देवी वगैरह की ओर से वकील श्री जयचन्द लाल सारस्वत द्वारा एक प्रार्थना-पत्र बाबत पूर्व में प्रसारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31/1/19 में संशोधन हेतु पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया गया कि पूर्व में प्रसारित आदेश दिनांक 31/1/19 को संशोधित करते हुये वादी/प्रार्थी के वारिसानों के नाम से विरासतन नामांतरण दर्ज करने की इदतक आदेश को अपास्त फरमाते हुये सम्बंधित तहसीलदार, बीकानेर को विरासतन नामांतरण दर्ज करने के आदेश फरमावें। प्रार्थना-पत्र के सम्बंध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना-पत्र से सम्बंधित वाद-पत्र अंतर्गत धारा 188 रा. का. अधि. का है पूर्व में वकील प्रार्थी द्वारा ही एकतरफा तौर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनने का निवेदन करने पर उसे स्वीकार करने पर ही मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश जारी किये गये हैं, जिसे विरासतन नामांतरण (प्रार्थी के वारिसान के नाम से) दर्ज करने हेतु पूर्व प्रसारित आदेश को संशोधित करने का कोई आधार नहीं है। वकील वादी द्वारा इस दौरान हमारे समक्ष पुनः निवेदन कर उल्लेख किया कि [illegible] वह नोट प्रेस करना चाहते हैं। [illegible] प्रकरण को वकील प्रार्थी द्वारा [illegible] किया जाता है [illegible] वकील ये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:46:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ… हुक्म की तामि… में जारी हु…
	पत्रावली इसी स्टेज पर जरिये नोट प्रेस खारिज की जाकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:46:18 IST
Reason: SelfAttested